"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."



पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 58] रायपुर, शनिवार, दिनांक 1 फरवरी 2014— माघ 12, शक 1935

कृषि विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 27 जनवरी 2014

अधिसूचना

क्र./382/एफ–04/01/2010/14–2.– राज्य सरकार ने मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 (क्र. 24 सन् 1973) की धारा 3 की उप–धारा (1) के प्रावधानों द्वारा अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अधिसूचना क्र./सी–6–23/77 /14–3 भोपाल, दिनांक 15 दिसम्बर, 1981 एवं अधिसूचना क./4471/एफ–04/ 01/2010 /14–3 रायपुर, दिनांक 5 अक्टूबर, 2012 द्वारा सरगुजा जिले के अम्बिकापुर, सीतापुर, बतौली, नर्मदापुर एवं मैनपाट के तहसील के तत्कालीन विकासखण्ड अम्बिकापुर, लखनपुर, राजपुर, धौलपुर, उदयपुर के समस्त राजस्व एवं वनग्रामों को समाविष्ट करते हुए अम्बिकापुर में मण्डी विनियमित की थी, जो इसमें इसके पश्चात् "कृषि उपज मण्डी समिति, अम्बिकापुर के वर्तमान अधिसूचित मण्डी क्षेत्र" के रूप में निर्दिष्ट है, जैसा कि इस अधिसूचना के अनुसूची–एक में उल्लिखित है।

और यतः, राज्य सरकार, छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 (क्र. 24 सन् 1973) की धारा 70 की उप–धारा (1) के खण्ड (एक) के अन्तर्गत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कृषि उपज मण्डी समिति अम्बिकापुर के वर्तमान अधिसूचित मण्डी क्षेत्र के राजपुर तहसील को अपवर्जित करना तथा इस अधिसूचना के अनुसूची–दो के अनुसार कुसमी मण्डी के वर्तमान अधिसूचित मण्डी क्षेत्र में इसे सम्मिलित करना प्रस्तावित करती है।

"कृषि उपज मण्डी समिति, अम्बिकापुर के अधिसूचित मण्डी क्षेत्र" में प्रस्तावित परिवर्तन के संबंध में, राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 6 सप्ताह के अवसान के पूर्व, किसी व्यक्ति से कोई आपत्ति या सुझाव, अपर मुख्य सचिव, कृषि विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर (कक्ष क्र. एस–4–4) या प्रबंध निदेशक, छत्तीसगढ़ राज्य विपणन (मण्डी) बोर्ड, बीज भवन, जी. ई. रोड, तेलीबांधा, रायपुर के कार्यालय में प्राप्त हों, पर छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 (क्र. 24 सन् 1973) की धारा 70 की उप–धारा (2) के प्रावधानों के अनुसार, राज्य सरकार द्वारा सम्यक् रूप से विचार किया जायेगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रदीप कुमार दवे, संयुक्त सचिव.

अम्बिकापुर मण्डी क्षेत्र के पुनर्गठन के लिये अधिसूचना

अनुसूची–एक

सरगुजा जिले के अम्बिकापुर, सीतापुर, बतौली, नर्मदापुर एवं मैनपाट तहसील के तत्कालीन विकासखण्ड अम्बिकापुर, लखनपुर, राजपुर, धौलपुर, उदयपुर के समस्त राजस्व एवं वनग्रामों सहित सम्पूर्ण क्षेत्र।

अनुसूची–दो

कृषि उपज मण्डी समिति अम्बिकापुर के अधिसूचित मण्डी क्षेत्र में निम्नलिखित होंगे, अर्थात्:–

सरगुजा जिले के तहसील अम्बिकापुर, सीतापुर, बतौली, नर्मदापुर एवं मैनपाट के अम्बिकापुर, लखनपुर, राजपुर, धौलपुर, उदयपुर विकासखण्ड के समस्त राजस्व एवं वनग्रामों सहित सम्पूर्ण क्षेत्र।

रायपुर, दिनांक 27 जनवरी 2014

क्रमांक/382/एफ–04/01/2010/14–2.– भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक/382/एफ–04/01/2010/14–2 दिनांक 27–01–2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रदीप कुमार दवे, संयुक्त सचिव.

Raipur, the 27th January 2014

NOTIFICATION

No./382 /F-04/01/2010/14-2.– The State Government, in exercise of its powers conferred by the provision of sub-section (1) of Section 3 of Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973), vide Notification No./C-6-23/77/14-3, Bhopal, dated 15th December, 1981 and Notification No./4471/ F-04/01/2010/14-3, Raipur, dated 5th October, 2012 regulated the market area of Ambikapur comprising of all revenue and forest villages of the then Development Blocks of Ambikapur, Lakhanpur, Rajpur, Dhoulpur, Udaypur of Tashil Ambikapur, Sitapur, Batauli, Narmadapur and Mainpat, District Sarguja, hereafter referred to as "the present notified market area of Krishi Upaj Mandi Samiti, Ambikapur" as mentioned in Schedule-I of this notification;

And whereas, the State Government, in exercise of its powers under clause (i) of sub-section (1) of Section 70 of Chhattisgarh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973) proposes to exclude Tashil Rajpur of present notified market area of Krishi Upaj Mandi Samiti, Ambikapur and include the same in presently notified market area of Kusmi Mandi, as per Schedule-II of this notification.

Any objections or suggestions in respect of such proposed alteration of "the notified maket area of Krishi Upaj Mandi Samiti, Ambikapur", received from any person before the expiry of a period of 6 weeks from the date of publication of this notification in the Official Gazette, by the office of the Additional Chief Secretary, Department of Agriculture, Government of Chhattisgarh, Mantralaya, Mahanadi Bhawan, Naya Raipur, (Room No.

S-4-4) or Managing Director, Chhattisgarh State Marketing (Mandi) Board, Beej Bhawan, G.E. Road, Telibandha, Raipur shall be duly considered by the State Government as per the provisions of sub-section (2) of Section 70 of the Chhattisgarh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973).

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
PRADEEP KUMAR DAVE, Joint Secretary.

Notification for re-organisation of Ambikapur Mandi Area

SCHEDULE-I

Complete area inclusive of all revenue and forest villages of the then Development Block Ambikapur, Lakhanpur, Rajpur, Dhaulpur, Udaypur of Tashil Ambikapur, Sitapur, Batauli, Narmadapur and Mainpat, District Sarguja.

SCHEDULE-II

Notified market area of Krishi Upaj Mandi Samiti, Ambikapur shall include the following, namely:-

Complete area inclusive of all revenue and forest villages of Tahsil Ambikapur, Lakhanpur, Raipur, Dhaulpur, Udaypur of Tashil Ambikapur, Sitaur, Batauli, Narmadapur and Mainpat, District Sarguja.

रायपुर, दिनांक 27 जनवरी 2014

अधिसूचना

क./384/एफ–04/01/2010/14–2.– राज्य सरकार ने मध्यप्रदेश कृषि. उपज मण्डी अधिनियम, 1960 (क्र. 19 सन् 1960) की धारा 3 की उप–धारा (1) के प्रावधानों के अंतर्गत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अधिसूचना क्र. डी–15/89/14–3 भोपाल, दिनांक 25 अप्रैल, 1991 द्वारा सरगुजा जिले के सामरी तहसील के विकासखण्ड कुसमी और शंकरगढ़ के समस्त राजस्व एवं वनग्रामों को समाविष्ट करते हुए कुसमी में मण्डी विनियमित की थी, जो इसमें इसके पश्चात् "कुसमी मण्डी के अधिसूचित मण्डी क्षेत्र" के रूप में निर्दिष्ट है, जैसा कि इस अधिसूचना के अनुसूची–एक में उल्लिखित है।

और यतः, राज्य सरकार, छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 (क्र. 24 सन् 1973) की धारा 70 की उप–धारा (1) के खण्ड (एक) के अंतर्गत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कृषि उपज मण्डी समिति अम्बिकापुर के वर्तमान अधिसूचित मण्डी क्षेत्र के तहसील राजपुर को अपवर्जित करना तथा इस अधिसूचना के अनुसूची–दो के अनुसार कुसमी मण्डी के वर्तमान अधिसूचित मण्डी क्षेत्र में इसे सम्मिलित करना प्रस्तावित करती है।

"कुसमी मण्डी के अधिसूचित मण्डी क्षेत्र" में प्रस्तावित परिवर्तन के संबंध में, राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 6 सप्ताह के अवसान के पूर्व, किसी व्यक्ति से कोई आपत्ति या सुझाव, अपर मुख्य सचिव, कृषि विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर (कक्ष क्र. एस–4–4) अथवा प्रबंध निदेशक, छत्तीसगढ़ राज्य विपणन (मण्डी) बोर्ड, बीज भवन, जी.ई. रोड, तेलीबांधा, रायपुर के कार्यालय में प्राप्त हों, पर उक्त अधिनियम, 1972 की धारा 70 की उप–धारा (2) के प्रावधानों के अनुसार, राज्य सरकार द्वारा सम्यक् रूप से विचार किया जायेगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रदीप कुमार दवे, संयुक्त सचिव.

अनुसूची–एक

अधिसूचना क्र. डी–15/89/14–3 भोपाल, दिनांक 25 अप्रैल, 1991 के अनुसार राज्य सरकार द्वारा कृषि उपज मण्डी समिति कुसमी के विद्यमान अधिसूचित मण्डी क्षेत्र।

सरगुजा जिले के सामरी तहसील के विकासखण्ड कुसमी और शंकरगढ़ के समस्त राजस्व एवं वनग्रामों सहित सम्पूर्ण क्षेत्र।

अनुसूची–दो

कुसमी मण्डी के अधिसूचित मण्डी क्षेत्र में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे, अर्थात्:–

सरगुजा जिले के तहसील कुसमी, शंकरगढ़ और राजपुर के समस्त राजस्व एवं वनग्रामों सहित सम्पूर्ण क्षेत्र।

रायपुर, दिनांक 27 जनवरी 2014

क्रमांक/384/एफ–04/01/2010/14–2.– भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक/384/एफ–04/01/2010/14–2 दिनांक 27–01–2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रदीप कुमार दवे, संयुक्त सचिव.

Raipur, the 27th January 2014

NOTIFICATION

No./384/F-04/01/2010/14-2.– The State Government, in exercise of its powers under the provision of sub-section (1) of Section 3 of Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1960 (No. 19 of 1960), vide Notification No./d-15/89/14-3, Bhopal, dated 25th April, 1991, regulated the market area at Kusmi comprising of all revenue and forest villages of Development Block of Kusmi and Shankargarh, Tahsil Samari, District Sarguja, hereafter referred to as 'the notified market area of Kusmi Mandi' as mentioned in Schedule-I of this notification;

And whereas, the State Government, in exercise of its powers under clause (i) of sub-section (1) of Section 70 of the Chhattisgarh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973), proposes to exclude Tahsil Rajpur of present notified market area of Krishi Upaj Mandi Samiti, Ambikapur and include the same in presently notified market area of Kusmi Mandi as per Schedule-II of this notification.

Any objections or suggestions in respect of such proposed alternation of 'the notified market area of Kusmi Mandi', received from any person before the expiry of a period of 6 weeks from the date of publication of this notification in the Official Gazatte, by the office of the Additional Chief Secretary, Department of Agriculture, Government of Chhattisgarh, Mantralaya, Mahanadi Bhawan, Naya Raipur (Room No. S-4-4) or Managing Director, Chhattisgarh State Marketing (Mandi) Board, Beej Bhawan, G.E. Road, Telibandha, Raipur, shall be duly considered by the State Government as per the provisions of sub-section (2) of Section 70 of the said Adhiniyam, 1972.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
PRADEEP KUMAR DAVE, Joint Secretary.

SCHEDULE-I

Existing notified market area of Krishi Upaj Mandi Samiti, Kusmi by the State Government Notification vide No. D-15/89/14-3, Bhopal, Dated 25th April, 1991.

Complete area inclusive of all revenue and forest villages of Development Block, Kusmi and Shankargarh, Tahsil Samari, District Sarguja.

SCHEDULE-II

Notified market area of Kusmi mandi shall include the following, namely:-

Complete area inclusive of all revenue and forest villages of Tahsil Kusmi, Shankargarh and Rajpur of District Sarguja.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2014.